(39)

निगरानी प्र.क. अपील / 1646 / PBR / 15

प्रस्तुति दिनांक : / 09 / 2017

श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष

PBR/पुनर्स्थापन/इंदौर/भू.रा./2017/3541

1. श्याम पिता हरिराम हरियाणी
2. महेश कुमार पिता हरिराम हरियाणी

निवासी – 23, साधु नगर, इन्दौर ..... प्रार्थीगण

विरूद्ध

श्रीमती बेअंत कौर पति सुरजनसिंह

निवासी – बैराठी कालोनी, इन्दौर ..... प्रतिप्रार्थी

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर का प्र० क्र० 1646-PBR/15 पारित आदेश दिनांक 22/7/15 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/पुर्नस्थापन/इंदौर/भू.रा./2017/3541

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-5-2019	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण की ओर से यह पुर्नस्थापन आवेदन पत्र लगभग 22 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण द्वारा विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण उनके अभिभाषक द्वारा प्रकरण की जानकारी नहीं देना दर्शाया गया है, जो कि समाधानकारक नहीं है, क्योंकि आवेदकगण द्वारा इस संबंध में अपने अभिभाषक का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । न्याय दृष्टान्त 2014 आर.एन. 183 कुसुमा (महिला) विरूद्ध महिला भूरी एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :- "धारा 5--690 दिवस का विलम्ब-कब माफ नहीं किया जा सकता--विलंब का कारण-काउन्सेल द्वारा आदेश संसूचित नहीं किया गया--काउन्सेल का शपथ पत्र नहीं--ऐसा कारण विलंब माफ करने के लिए जानबूझकर गढ़ा गया--विश्वासोत्पादक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं--ऐसा अत्यधिक विलंब माफ नहीं किया जा सकता--अपील समय वर्जित होने से खारिज ।" 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष सीउर	